229

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3786-तीन/14 विरूध्द आदेश दिनांक 20/6/2014 पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2000-01.

1 सुरेश कुमार पुत्र श्री रामाधार शाह
2 कमलेश पुत्र श्री सेतलाल शाह
3 रामलखन पुत्र श्री लक्षिमन शाह
सभी निवासी ग्राम कटौली तहसील व जिला सिंगरौली म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

1 ललई पुत्र श्री झुरई शाह
2 राजमन पुत्र श्री ललई शाह
3 रामसेवक पुत्र श्री ललई शाह
4 रामसहाय पुत्र श्री ललई शाह
सभी निवासी ग्राम भुडकुड तहसील माडा,
जिला सिंगरौली म0 प्र0 - अनावेदकगण

श्री के0 के0 व्दिवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

आ दे श
(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 3786-तीन/14 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली के प्र क्र 40/अपील/2000-01 में पारित आदेश दि 20-6-2014 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

आवेदकों के पक्ष में अनावेदक १ की पत्नी और अनावेदक २ से ४ की माता स्व ऐतवरिया की वसीयत के आधार पर नायब तहसीलदार, अमिलिया, सिंगरौली के प्र क्र ७५/अ-६/९८-९९ के आदेश दि १९-७-९९ से नामांतरण स्वीकृत हुआ. अनावेदकों ने इसकी अपील अनु अधि सिंगरौली के समक्ष की, जिसमे आक्षेपित आदेश से धारा ५ म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार करके प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी रा मं में हुई.

[३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकों के अंगूठा निशान ना. तह. न्या. से उन्हें भेजे गए नोटिसों के पृष्ठ भाग पर हैं और उनको ना. तह. के आदेश की जानकारी थी, जिस वजह से उन्हें अनु अधि के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए था. अनु अधि को विलम्ब के प्रत्येक दिन का कारण देखना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि विषयांकित भूमि ऐतवरिया के मायके की भूमि है, वे उसकी सेवा करते थे और उसके भाई के नाती हैं, इन कारणों से ऐतवरिया ने उनके पक्ष में वसीयत की थी. इन आधारों पर उन्होंने अनु अधि के आक्षेपित आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया.

अनावेदक अधिवक्ता के तर्क थे कि उनकी पत्नी/ माता स्व ऐतवरिया द्वारा उन्हें, जो उनके पति और पुत्र हैं, छोड़कर अनावेदकों, जो उनके भाई के नाती हैं, के पक्ष में वसीयत करने का कोई कारण नहीं था, वसीयत में जब यह लिखा है कि उनकी ऐतवरिया अपने ससुराल में रहती थीं तो यह लिखा जाना कि उनके मायके के लोग (उनके भाई के पुत्र) उनकी सेवा करते थे समझ से परे है, इन आधारों पर उन्होंने वसीयत फर्जी होना

बताया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ना. तह. के नोटिसों के पृष्ठ भागों पर जो अंगूठा निशान लगे हैं वे उनके नहीं हैं, उन निशानों को किस व्यक्ति ने पहचाना है यह स्पष्ट नहीं है, इस आधार पर उन्होंने कहा कि उन्हें ना. तह. के आदेश की जानकारी समय पर नहीं थी, जिस करणवश जब उन्हें जानकारी मिली तब उन्होंने अनु अधि के समक्ष ना. तह. के आदेश के विरुद्ध धारा ५ के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई विलम्ब के आधार पर नहीं की जाना गलत होता. इस प्रकार उन्होंने अनु अधि का आक्षेपित आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया.

[४] प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का परिशीलन किया.

ना. तह. के आदेश के विरुद्ध अनावेदकों ने अनु अधि के समक्ष अपील दि २८-९-०० को पेश की थी. इस अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत धारा ५ के आवेदन में ना. तह. के आदेश की जानकारी उन्हें दि १३-९-०० को प्राप्त होना, दि १५-९-०० को प्रवाचक से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जाना, दि १६ - १७ के अवकाश के बाद दि १८-९-०० को नकल हेतु आवेदन लगाया जाना, नकल दि २५-९-०० को मिलना, दि २६ को अधिवक्ता से मिलना, अधिवक्ता द्वारा २७ दो सलाह दी जाना और दि २८-९-०० को अपील पेश की जाना लिखा है. इस विवरण से इस सम्बन्ध में समाधान होता है कि, यदि तहसील के आदेश की जानकारी अनावेदकों को १३-९-०० को ही पहली बार मिली थी तो, तहसील के आदेश की जानकारी मिलने के बाद जितना जल्दी सम्भव हो सका अनावेद्कों ने अनु अधि के समक्ष अपील पेश कर दी.

अब विचार का बिंदु यह है कि क्या अनावेदकों को तहसील के आदेश की जानकारी तहसील में आदेश पारित होने के समय थी या फिर वह उन्हें १३-९-०० को बाद में ही मिली. इस सम्बन्ध में, अभिलेख से यह तो स्पष्ट है कि अनावेदकों को जारी नोटिसों के पृष्ठ भागों पर अंगूठा निशान विद्यमान हैं, किन्तु ये अंगूठा निशान अनावेदकों के ही हैं यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक तो वे अन्गूठा निशान बहुत गीली और हल्की स्याही में होकर अपने आप में अस्पष्ट हैं और उनमें अंगूठा निशानों की रेखाएं बिलकुल नहीं दिखाई देतीं, दूसरे जिस व्यक्ति ने उन अंगूठा निशानों पर अनावेदकों के नाम लिखे हैं उस व्यक्ति की स्वयं की पहचान स्पष्ट नहीं है, और तीसरे इस व्यक्ति की लिखाई उस जमुना प्रसाद नाम के व्यक्ति से बिलकुल फर्क है जिसने

इन नोटिसों को बाद तामीली तहसील में पेश किया है. ना. तह. ने इन नोटिसों को अनावेदकों पर तामील मानकर उनकी अनुपस्थिति अभिलिखित करते हुए दि १४-६-९९ को प्रकरण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कर दिया है. अनावेदक इस वसीयत को कंटेस्ट करना चाहते थे, यह स्पष्ट है, नहीं तो वे अपील ही नहीं करते. यह भी स्पष्ट है कि तहसील के आदेश की जानकारी मिलने के बाद जितना जल्दी सम्भव हो सका अनावेद्कोंन ने अनु अधि के समक्ष अपील पेश कर दी. ऐसे में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि यदि अनावेदकों को तहसील के नोटिस तामील हुए होते तो वे ना. तह. के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने के लिए हाज़िर हुए होते. अतः, मैं अनावेदकों के इस क्लेम से सहमत हूँ कि उन्हें नोटिस नहीं मिले थे, तहसील के प्रकरण की जानकारी नहीं थी और जानकारी मिलने पर यथाशीघ्र उन्होंने अपील दायर की.

अनु अधि ने आक्षेपित आदेश से विलम्ब माफ़ करते हुए प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु नियत किया है. उनके इस आदेश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक अधिकार अनुचित तौर पर प्रभावित हो गए हों या होने सम्भावित हो गए हों, एस नहीं मन जा सकता. चूँकि वसीयतकर्ता ने कथित वसीयत अपने पति और पुत्रों को छोड़ अपने भाई के नातियों के हित में की है, अतः उक्त वसीयत को प्रमाणित मानने के पूर्व वसीयतकर्ता के पति और पुत्रों को पक्षसमर्थन का अवसर दिया जाना पूर्णतः न्यायसंगत है. ऐसे में मेरा पूर्ण समाधान है कि अनु अधि ने विलम्ब माफ़ करते हुए प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु नियत करने में कोई गलती नहीं की है.

अतः यह निगरानी अस्वीकार की जाती है.
आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर